WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

JANUARY 2023

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

HAPPY NEW YEAR 2023

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति- 2022, निजी लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर मिलेगी छूट
- जीएसटी: अब दो करोड़ की कर चोरी पर ही दर्ज होगा मुकदमा
- व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध: सीतारमण
- ई-रूपी की शुरुआत ऐतिहासिक कदम, बढ़ेगा वित्तीय समावेशन
- इस साल से बदल गए लॉकर के नियम, बैंक जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकेंगे, बैंक लॉकर के लिए नया अनुबंध अनिवार्य होगा
- सिबिल स्कोर बेहतर करना चाहते है तो पांच गलतियों से बचे
- मार्च तक आधार से नहीं जोड़ा पैन तो हो जाएगा निष्क्रिय
- स्कूलों-अस्पतालों में फायर अधिकारी की तैनाती अनिवार्य
- बिजली खपत से बढ़ेगा जीएसटी का दायरा, गैर-जीएसटी पंजीकृत कारोबारों की पहचान की जाएगी
- कोई भी ले सकेगा बीएच सीरीज का नंबर
- Centre may increase interest rate subsidy for MSME exporters in budget
- Govt to announce revised digital scheme for MSMEs to gain competitiveness
- Railways Dedicated Freight Corridor progressing per schedule to boost e-commerce & MSMEs
- IAS Rajneesh to be new Development
- Commissioner MSME
- MSME sector key facilitator of industrialisation in rural & backward areas: MoS MSME
- MSME sugar producers struggle with lower margins
- eShram Portal registers highest unorganised workers from UP at 8.29 cr
- UP MSME Dept assigned Rs 1 trillion target for Global Investors Summit
- Cabinet okays National Green Hydrogen Mission with Rs 19,744 cr outlay; vouches for 6 lakh jobs by 2030
- 96% MSMEs anticipate robust profits in 2023: Report
- New Industrial Policy proposes Universal Enterprise ID for MSMEs to boost credit rating system

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति- 2022, निजी लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर मिलेगी छूट

उत्तर प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश के मद्देनजर भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए नए निजी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। निजी लॉजिस्टिक पार्क के लिए निवेशकों को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि का आवंटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2022 को मंजूरी दी गई। निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर स्टांप ड्यूटी और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में रियायतें दी जाएगी।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन, लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों के विकास के साथ ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तीन चरणों में किया जाएगा। पहला चरण में भंडारण सुविधा के तहत गोदाम, साइलोज, कोल्ड चेन की सुविधा दी जाएगी। दूसरे चरण में मल्टीमाडल पार्क के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित लॉजिस्टिक्स पार्क्स, ड्राई पोट और एयर फ्रेट स्टेशन भी बनाए जाएंगे। तीसरे चरण में अन्य सुविधाओं के तहत निजी फ्रेट टर्मिनल, निजी बर्थिंग टर्मिनल एवं अन्तर्देशीय पोत की स्थापना पर आकर्षक सब्सिडी और रियायतें दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए बनाई गई नीति पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगी। नीति की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2018 निरस्त हो जाएगी। वर्ष 2018 की नीति के तहत प्रोत्साहनों के संबंध में अनुमोदित पैकेज वाली परियोजनाएं लाभ प्राप्त करने उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के तहत अधिकृत रहेंगी।

यह है उद्देश्य:

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2022 का उद्देश्य सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन और वर्तमान वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का का विकास करना करना है। साथ ही लॉजिस्टिक्स लागत को

कम करने एवं दक्षता में सुधार के लिए राज्य में लॉजिस्टिक्स सेवाओं के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि नीति से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास के लिए प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित होगा। लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश आकर्षित होगा।

स्टांप ड्युटी में मिलेगी छूट:

निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने वाले निवेशकों को भूमि और भवन की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। उन्हें भू उपयोग परिवर्तन में भी छूट दी जाएगी। विद्युत शुल्क भी छूट दी जाएगी।उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति- 2022, निजी लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर मिलेगी छूट ।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,
Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

जीएसटी: अब दो करोड़ की कर चोरी पर ही दर्ज होगा मुकदमा

जीएसटी के तहत अब दो करोड़ रूपये या इससे अधिक से जुड़े कर चोरी के मामले में ही एफआईआर और गिरफ्तारी की सकेगी। पहले यह सीमा एक करोड़ रूपये थी। हालांकि, माल की आपूर्ति या सेवा दिए बिना फर्जी बिल बनाकर एक करोड़ रूपये तक का दावा किया जाता है, तो इस पर पहले की तरह आपराधिक कार्यवाही होगी।

जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में यह फैसला किया गया कि दालों की चूरी या छिलके पर अब कोई कर नहीं लगेगा। पहले इन पर पांच फीसदी जीएसटी लगता था। इससे दाल मिलो को राहत मिली है। पान मसाला या ऑनलाइन गेम या कसीनो पर टैक्स को लेकर फैसला टल गया। तीन मामलो को अपराधों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि समय की कमी के कारण 15 विषयो में से सिर्फ 8 पर ही निर्णय हो सका। बाकी पर अगली बैठक में निर्णय होंगे। बैठक में कोई नया कर नहीं लाया गया।

यदि कोई गैर पंजीकृत कारोबारी है तो एक अक्टूबर 2023 से वह भी ऑनलाइन माल पंजीकृत कारोबारी को बेच सकता है। जो भी कर बनेगा, पंजीकृत कारोबारी उसे वसूल कर जीएसटी में जमा कर देगा। इससे रेहड़ी-पटरी वालो के लिए कारोबार आसान बनेगा।

ये अब अपराध नहीं:

- किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों को निभाने में कारोबारी अगर बाधा डाले।
- कारोबारी भौतिक सबूतों से जानबूझकर छेड़छाड़ करे।
- कारोबारी अगर कोई जानकारी देने में विफल रहे।

बिलो के मिसमैच पर बनेगा नियम:

किसी भी बिल के मिसमैच के मामले में नियम बनाया जाएगा। अभी तक ऐसे मामले जीएसटी अधिकारी ही अपने हिसाब से रफा-दफा कर देते थे।

पुराने रिटर्न के लिए तीन साल तय:

पुराने रिटर्न के मामलो में कोई सीमा तय नहीं थी। अब तीन साल की सीमा तय कर दी है। अगर GSTR1 और GSTR 3B के बिलो में मिसमैच होता है तो इसके लिए DRC-01B लाया जाएगा। इसमें मिसमैच को बताया जाएगा।

अपील वापस लेने का विकल्प मिला:

करदाता ने किसी टैक्स अधिकारी के फैसले खिलाफ अपील की है तो अब वह उसे वापस भी ले सकता है। यह विकल्प पहले नहीं था।

एसयूवी और एमयूवी पर पुराना कर ही लागू:

एसयूवी और एमयूवी गाड़ियों पर पुराना कर ही लागू होगा। 1500 CC से अधिक इंजन क्षमता, 4000 MM से अधिक लम्बाई और 170 MM या इससे अधिक ग्राउंड क्लीयरैंस वाली गाड़ियों पर 22% सेस ही लगेगा।

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:
MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS
Warehouses Unit's

Office:

6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meerut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

Works:

Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध: सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों और व्यापारिक समुदायों समेत सभी के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार व्यापार से जुडी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने पर काफी ध्यान दे रही है और इस दिशा में प्रगति भी देखी गई है। उन्होंने कहा कि नई इमारत के निर्माण के अलावा इन दिनों पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इमारतों को बिजली की कम खपत करने वाला कैसे बनाया जाए।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पेटेंट से जुड़े आवेदनों के निपटाने के समय में ओर कमी लाने पर काम कर रही है। ऐसे आवेदनों के निपटान में लगने वाली समयसीमा को पहले ही 72 महीने से घटाकर 12-24 महीने कर दिया गया है। वित्त मंत्री कहा कि घरेलु स्तर पर पेटेंट आवेदन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 2021 में पेटेंट के लिए कुल 58502 आवेदन हुए थे। इसमें से 28391 का निपटान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 2016 में स्टार्टअप नीति की घोषणा के समय कई और नीतियां भी लाई गई ताकि स्टार्टअप्स को सहायता मिल सके।

ई-रूपी की शुरुआत ऐतिहासिक कदम, बढ़ेगा वित्तीय समावेशन

आरबीआई के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने कहा, डिजिटल रुपये की शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम है। यह आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा। इससे न सिर्फ मुद्रा प्रणाली के सिस्टम में दक्षता आएगी बल्कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, डिजिटल रुपया भुगतान के तरीके में नया लचीलापन देगा और विदेश में होने वाले भुगतान को भी बढ़ावा देगा। यह उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हुए जनता को नया अनुभव देगा।

ग्रीन फाइनेंस का वर्गीकरण समय की जरूरत: राव

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने 'ग्रीनवॉशिंग' के जोखिम से बचने के लिए ग्रीन फाइनेंस के वर्गीकरण का आह्वान किया। ग्रीन फाइनेंस का मतलब पर्यावरणीय रूप से स्थायी आर्थिक गतिविधियों को कर्ज देने से है। राव ने कहा, वर्गीकरण के साथ हरित वित्त की औपचारिक परिभाषा समय की जरूरत है। यह भारत में हरित क्षेत्रों में वित्त प्रवाह की अधिक सटीक ट्रैकिंग को सक्षम करेगा।

इस साल से बदल गए लॉकर के नियम, बैंक जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकेंगे, बैंक लॉकर के लिए नया अनुबंध अनिवार्य होगा

आपने बैंक लॉकर (bank locker) लिया हुआ है या लेने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। एक जनवरी 2023 (New Year) से लॉकर से जुड़े कई नियम बदले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में मनमानी नहीं कर सकेंगे और ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकेंगे।

अनुचित शर्त नहीं जोड़ पाएंगे बैंक:

रिजर्व बैंक के संशोधित निर्देश अधिसूचना के अनुसार बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर करार में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं हैं। आरबीआई ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया है क्योंकि कई बार बैंक शर्तों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं। इसके अलावा बैंक के हितों की रक्षा के लिए अनुबंध की शर्तें आवश्यकता से अधिक कठिन नहीं होंगी।

एसबीआई और पीएनबी समेत अन्य बैंकों ने ग्राहकों को एसएमएस के जरिये नए नियमों की जानकारी देनी शुरू कर दी है। बैंक एक 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर करार (एग्रीमेंट) का नवीनीकरण करेंगे। उल्लेखनीय है कि बैंक लॉकर करार नीति के तहत किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय बैंक उस ग्राहक के साथ करार करता है,

जिसके बाद लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है। विधिवत मुहर लगे कागज पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लॉकर समझौते की एक प्रति लॉकर किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए दी जाती है। जबकि, करार की मूल प्रति बैंक की उस शाखा के पास रहता है जहां लॉकर की सुविधा ग्राहक को दी गई होती है।

आरबीआई ने कहा कि बैंकों को खाली लॉकरों की सूची और लॉकर की प्रतीक्षा सूची संख्या दिखानी होगी। साथ ही, बैंक के पास अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए लॉकर का किराया एक बार में लेने का अधिकार होगा है। उदाहरण के लिए, यदि लॉकर का किराया 1,500 रुपये है, तो बैंक को अन्य रखरखाव शुल्कों को छोड़कर आप से 4,500 रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं।

शुल्क में भी बदलाव:

एसबीआई के मुताबिक बैंक लॉकर का शुल्क क्षेत्र और लॉकर के आकार के आधार पर 500 रुपये से लेकर तीन हजार रुपये तक है। बड़े शहर और महानगरों में बैंक छोटे, मध्यम, बड़े और अतिरिक्त बड़े आकार के लॉकरों के लिए दो हजार रुपये, चार हजार रुपये, आठ हजार रुपये और 12,000 रुपये सालाना शुल्क लेते हैं। वहीं अर्ध-शहरी और ग्रामीण स्थानों में बैंक छोटे, मध्यम, बड़े और अतिरिक्त बड़े आकार के लॉकरों के लिए 1,500 रुपये, तीन हजार रुपये, छह हजार रुपये और नौ हजार रुपये शुल्क लेता है।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.
Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

एसएमएस और ईमेल से सूचना देना अनिवार्य:

अनाधिकृत तौर पर लॉकर खोले जाने की स्थिति में, दिन खत्म होने से पहले बैंकों को ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल ई-मेल पर उसकी तारीख, समय और कुछ जरूरी कदम की जानकारी देनी अनिवार्य होगी। आरबीआई ने दिशानिर्देश में यह भी कहा है कि लॉकर की नई व्यवस्था की जानकारी हर ग्राहक को एसएमएस के माध्यम से भी दी जानी अनिवार्य है जिससे ग्राहक पहले से जागरूक रहें। इसके अलावा जब भी आप लॉकर का उपयोग करेंगे, आपको बैंक के जरिये ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सतर्क किया जाएगा।

सामान खराब होने पर बैंक होंगे जिम्मेदार:

सामान्य तौर पर, बैंक अक्सर यह कहते हुए चोरी के मामलों से बच निकलते हैं कि लॉकर के अंदर रखे किसी भी सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं हैं। जैसा कि बैंक जवाबदेही से इनकार करते हैं, ग्राहक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होते हैं। जनवरी 2022 के बाद बैंक लॉकर से सामान के खराब होने या नुकसान होने की स्थिति में बैंक अपनी देनदारी से नहीं बच पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए स्टैंडर्ड के मुताबिक, अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर के किसी सामान का कोई नुकसान होता है, तो बैंक को ग्राहकों को इसकी भरपाई करनी होगी।

यह बदलाव भी हुए:

- नए नियमों के मुताबिक, अगर लॉकर का मालिक किसी को नॉमिनी बनाता है तो बैंकों को उसे सामान निकालने की मंजूरी देनी होगी।

- अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि से लॉकर के सामान को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक की उसके लिए भरपाई करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- ग्राहक की खुद की गलती या लापरवाही से भी अगर नुकसान होता है, तो बैंक ग्राहकों को कोई पैसा नहीं देंगे।

सिबिल स्कोर बेहतर करना चाहते है तो पांच गलतियों से बचे

महामारी और लॉकडाउन के झटकों से उबरकर अर्थव्यवस्था अब सुधार की राह पर आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही नया कारोबार और अन्य उद्यम की शुरुआत करने के लिए कर्ज की मांग में भी इजाफा हुआ है। हालांकि, सिबिल स्कोर खराब होने की वजह से कई बार बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान कर्ज देने से मना कर देते हैं।

कर्ज लेने की प्रक्रिया में सिबिल स्कोर का अहम रोल होता है। यह अच्छा रहने से आसानी से कर्ज मिल जाता है। कई बार औसत स्कोर पर भी बैंक कर्ज दे देते हैं, लेकिन ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। निवेश सलाहकारों के मुताबिक, अपना सिबिल स्कोर बेहतर रखने के लिए पांच गलतियों से बचें।

असुरक्षित या एक साथ कई कर्ज से बचें:

सिबिल स्कोर बेहतर रखने के लिए असुरक्षित कर्ज लेने से बचें। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेना असुरक्षित कर्ज माना जाता है। इसलिए असुरक्षित के साथ सुरक्षित कर्ज का संतुलन बनाएं। होम लोन, एजुकेशन और ऑटो लोन को सुरक्षित कर्ज माना जाता है। इसके अलावा, एक साथ कई कर्ज लेने से भी बचें।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

बकाया भुगतान में नियमितता बरतें :

अगर लंबे समय तक अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं करते हैं और कर्ज की मासिक किस्त चुकाने में अनियमितता बरतते हैं तो यह सिबिल स्कोर के लिहाज से अच्छी आदत नहीं है।

संयुक्त खाते को लेकर सावधान रहें:

संयुक्त खाता खोलने या लोन गारंटर बनने से हमेशा बचना चाहिए। अगर कर्ज लेने वाला भुगतान में चूकता है तो बतौर गारंटर उसका सीधा असर आपके सिबिल स्कोर पर पड़ेगा।

सिबिल रिपोर्ट पर रखें नजर:

क्रेडिट स्कोर में तभी सुधार संभव है, जब उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी हो। इसलिए, सिबिल रिपोर्ट पर नियमित नजर रखें।

न्यूनतम भुगतान की आदत न डालें:

क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं चुकाने की स्थिति में लोग न्यूनतम भुगतान करते हैं। वित्तीय संकट के दौरान थोड़े समय के लिए ऐसा करना ठीक है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ न्यूनतम बिल का ही भुगतान करते रहना अच्छी आदत नहीं है। इससे आपके सिबिल स्कोर पर काफी खराब असर पड़ता है। इसके अलावा, मौजूदा कर्ज की ईएमआई का भी समय पर जरूर भुगतान करते रहे। -स्वीटी मनोज जैन निवेश सलाहकार

मार्च तक आधार से नहीं जोड़ा पैन तो हो जाएगा निष्क्रिय

आयकर विभाग ने कहा कि जो पैन मार्च 2023 तक आधार से नहीं जुड़ेंगे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। विभाग ने सार्वजनिक परामर्श जारी कर कहा है कि पैन को आधार से जोड़ना जरुरी है और इसमें देरी नहीं करे।

विभाग ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत सभी पैन धारको के लिए पैन को 31 मार्च 2023 से पहले आधार से जोड़ना आवश्यक है। जो पैन इस अवधि तक आधार से नहीं जुड़ेंगे,

उन्हें एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि, छूट प्राप्त लोगो के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। वित्त मंत्रालय के अनुसार असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासियों, आयकर अधिनियम 1961 के तहत अप्रवासी और 80 वर्ष से अधिक उम्र वालो को आधार से पैन लिंक करने से छूट प्राप्त है। इसी वर्ष 30 मार्च को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक एक सर्कुलर में कहा था कि एक बार पैन निष्क्रिय होने के बाद संबंधित व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामो के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

पैन निष्क्रिय होने का असर:

- निष्क्रिय पैन से आयकर रिटर्न फ़ाइल नहीं किया जा सकेगा।
- लंबित आयकर रिटर्न की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।
- निष्क्रिय पैन के लिए लंबित रिटर्न जारी नहीं किया जा सकेगा।
- दोषपूर्ण रिटर्न की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।
- निष्क्रिय पैन धारको से अधिकतम दर पर कर वसूली होगी।
- बैंक और वित्तीय संस्थानों में केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी होगी।

THE FASTEST GROWING INSTITUTION

CAEHS

College of Applied Education & Health Science

Gangotri, Roorki Road, Meerut

Phone no.: 0121-2610931, 2610200, 2610033

Admission Helpline: 9997030564, 9258051445

Email: info@caehs.edu.in

Website: www.caehs.edu.in

स्कूलों-अस्पतालों में फायर अधिकारी की तैनाती अनिवार्य

प्रदेश में आग लगने की घटना में जन-धन हानि को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक-2022 को विधानमंडल के दोनों सदनों ने शीतकालीन सत्र में मंजूरी दी थी।

दमकल सेवा को और सुदृढ़ करते हुए भारत सरकार के माडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2019 के प्रविधानों को प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। इसे अंगीकृत करने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है। बिल को अपनाने से वैधानिक राजकीय कर्तव्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए अग्निशमन विभाग के कर्तव्य व उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बढ़ेगा। दमकल विभाग के दायित्वों के साथ उनके अधिकार भी बढ़ाए गए हैं।

डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र का कहना है कि नए कानून के तहत विभिन्न नियमों का निर्धारण होगा। अब बहुमंजिला भवनों से लेकर स्कूल, कालेज, अस्पताल, नर्सिंग होम व ऐसे अन्य सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाएगा। इन सभी भवनों में फायर सुरक्षा अधिकारी की तैनाती अनिवार्य होगी.

ये भी नई व्यवस्था:

- कहीं आग बुझाने के लिए पानी की उपलब्धता है तो संबंधित प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति के लिए पानी देने की बाध्यता होगी।
- दमकल को अर्थदंड लगाने का अधिकार भी होगा।
- अग्नि कर के निर्धारण के साथ प्रदेश में अग्निशमन सुरक्षा कोष बनेगा ।
- दमकल के पास कहीं गड़बड़ी पर किसी भवन को सील करने का अधिकार भी होगा।
- जनहानि पर पीड़ित को मुआवजा भवन स्वामी या भवन का उपयोग कर रहे व्यक्ति को देना होगा।
- औचक निरीक्षण से लेकर रास्ते में अतिक्रमण है, तो उसे भी हटाने का अधिकार विभाग के पास होगा।

बिजली खपत से बढ़ेगा जीएसटी का दायरा, गैर-जीएसटी पंजीकृत कारोबारों की पहचान की जाएगी

जीएसटी का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार बिजली की खपत व प्रापर्टी के डाटा का इस्तेमाल करने जा रही है। वहीं, जीएसटी के फर्जी पंजीयन को रोकने के लिए आधार सत्यापन से पंजीयन की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जोहरी ने बताया कि जीएसटी का दायरा बढ़ाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) व संपत्ति कर विभाग से डाटा शेयर किया जा रहा है। पैन से जुड़ा विभिन्न डाटा भी विभाग के साथ शेयर करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में डिस्काम से डाटा शेयरिंग तो महाराष्ट्र में संपत्ति कर विभाग से डाटा शेयरिंग का काम शुरू हो गया है।

गुजरात में पैन से जुड़ा विभिन्न डाटा शेयर किया जा रहा है। जोहरी ने बताया कि डिस्काम से डाटा शेयर करने से यह पता चल सकेगा कि किसकी बिजली वाणिज्यिक है और वह महीने में कितनी खपत करता है। उस हिसाब से वह जीएसटी दे रहा है या नहीं। कई कारोबारी ऐसे भी होते हैं जिनका टर्नओवर जीएसटी पंजीयन के लायक होता है, लेकिन वे जीएसटी से बचने के लिए अपना पंजीयन नहीं कराते हैं। बिजली की खपत से उनकी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता का पता चल सकेगा। संपत्ति कर के विश्लेषण से भी कारोबारियों की क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है और जिन्होंने जीएसटी का पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें दायरे में लाया जाएगा।

इससे जीएसटी चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी। दायरा बढ़ने से जीएसटी संग्रह अधिक होगा। फर्जी जीएसटी पंजीयन का पता करने के लिए बायोमैट्रिक आधारित आधार सत्यापन का पायलट प्रोजेक्ट चलाने का फैसला किया गया है। गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत होने जा रही है। किसी पंजीयन पर शक होने पर आवेदक का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।

कोई भी ले सकेगा बीएच सीरीज का नंबर

केंद्र सरकार ने वाहनों के लिए भारत (बीएच) सीरीज नंबरों को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए इसके दायरे को बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य इस नंबर सिस्टम की प्रणाली को ओर मजबूत करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार बीएच सीरीज से संबंधित अधिसूचना में कुछ संशोधन किए गए है। बीएच सीरीज को लेकर नियम अगस्त 2021 में जारी किए गए थे। इसका उद्देश्य यह है कि इस तरह की नंबर प्लेट वाले वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर नई रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यह व्यवस्था उन लोगो के लिए विशेष रूप से मददगार है जिन्हे अपनी नौकरी के सिलसिले में देश के अलग-अलग स्थानों पर बार-बार शिफ्ट होना पड़ता है। इस पर अमल के दौरान कई तरह के सुझाव आए थे। इसके बाद संशोधनों से सम्बंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।

संशोधनों के उपरान्त अब बीएच सीरीज वाले वाहन का स्वामित्व आसानी से स्थानांतरित हो सकेगा। जो वाहन अभी बीएच सीरीज में पंजीकृत नहीं है, उन्हें भी इस सीरीज में बदला जा सकता है। इसके लिए जरुरी टैक्स का भुगतान करना होगा। इससे लोगो को अपने वाहन को बीएच सीरीज में बदलने में आसानी होगी। इसकी प्रक्रिया को ओर सरल बनाते हुए एक अन्य संशोधन यह किया गया है कि अब बीएच सीरीज के लिए आवेदन या तो निवास वाले स्थान से किया जा सकता है या फिर काम काज वाली जगह से। संशोधन के उपरान्त निजी कंपनियों करने वाले लोग भी इस नंबर को ले सकेंगे। अभी तक केवल नए वाहन खरीदने पर ही बीएच सीरीज का विकल्प मिलता था। अब निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके पुराने वाहनों के लिए भी बीएच सीरीज नंबर लिया जा सकता है।

SAI ELECTRICALS

Dealing in:

Transformer & Servo

Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001

Mob. No.: 7533900800, 9927869400

E-mail: info@saielectricals.com

Website: www.saielectricals.com

Centre may increase interest rate subsidy for MSME exporters in budget

In the upcoming annual budget for 2023-24, the central government is planning to increase the interest rate subsidy for small and medium exporters.

Amid a series of interest rate hikes by the central bank, exporters have been demanding the government to restore interest equivalence benefits.

To reduce some of the interest rate burden on them due to tight monetary policy, the government is considering increasing the interest equalization or subsidy benefits given to MSME exporters in the Union Budget for the next financial year.

The proposal to extend the benefit of low interest rate is being examined at a time when Indian exporters are facing headwinds due to slow demand in key markets amid record inflation and threat of a global recession.

The government is examining the cost to the exchequer of increasing the interest subsidy from 3 per cent to 5 per cent for micro, small and medium manufacturers and from 2 per cent to 3 per cent for manufacturer-exporters and merchant-exporters.

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

Govt to announce revised digital scheme for MSMEs to gain competitiveness

In an endeavor to empower Indian MSMEs digitally, the Government of India is going to soon launch Revised Digital Scheme for the MSME sector.

Through this MSMEs will be supported to adopt ICT tools and applications for production and business processes.

The aim of the scheme is to improve the competitive edge of MSMEs in the domestic and international market.

Initially, the Ministry of MSME would provide financial assistance to the MSMEs to develop software/apps in four different verticals.

It would include Enterprise Resource Planning (ERP) including Human Resource Management, Finance & Accounting Management, Supply Chain Management, Inventory Management, Customer Relationship Management etc.

Railways Dedicated Freight Corridor progressing per schedule to boost e-commerce & MSMEs

Comprising Western and Eastern Corridors, the mega infrastructure project called the Dedicated Freight Corridor (DFC) has completed a total route length of 1610 Km out of total 2843 Km till October, 2022.

Undertaken by the Indian Railways, the DFC aims to give a boost to E-commerce and MSME markets.

The Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) is from Dadri to Jawaharlal Nehru Port Trust-1506 Km and Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) is from Ludhiana to Sonnagar-1337 Km with the total route covering 2843 Km.

This information was given by the Minister of Railways, Communications and Electronic & Information Technology, Ashwini Vaishnaw in a written reply to a question in Lok Sabha.

Early in March, by attaching a Parcel Van in Tapti Ganga Express (19045/46) between Surat and Varanasi, a pilot project for Joint Parcel Product (JPP) was launched.

It has been launched by Indian Railways in collaboration with India Post which aims to target business-to-customer (B2C) and business-to-business (B2B) markets focusing on e-Commerce and MSME markets.

IAS Rajneesh to be new Development Commissioner MSME

The Himachal Cadre IAS of 1997 batch Rajneesh has been appointed as Additional Secretary and Development Commissioner in Ministry of MSME, Government of India.
A post graduate in Economics, he has handled diverse portfolios in the state such as Industry, Urban Affairs, Education, IT etc.

The post of DCMSME has been awaiting for a full time DC to be appointed for several months.

The office of DC MSME is the operational arm of Ministry of MSME and houses hundreds of field offices including MSMEDIs, Tool rooms, testing centres etc.

It also maintains liaison with Central Ministries and other Central/State Government agencies/organisations financial institutions.

Several high-profile MSME development projects are being currently awaiting roll out including World Bank assisted “Raising and

Accelerating MSME Performance" (RAMP) scheme is to commence FY 2022-23 planned to support various Covid Resilience and Recovery Interventions of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MoMSME).

MSME sector key facilitator of industrialisation in rural & backward areas: MoS MSME

The MSME Sector not only plays a crucial role in providing large employment opportunities at a lower capital cost but also helps in the industrialization of rural & backward areas, said MoS for MSME, Bhanu Pratap Singh Verma.

He was speaking at the National SC-ST Hub (NSSH) Conclave organised by the Ministry of MSME at Sahid, Smruti Bhavan, Baripada, Mayurbhanj, Odisha.

MoS also highlighted the various schemes of the Government to empower the MSME Sector and said that through this conclave the SC/ST entrepreneurs from the State will explore innovative ideas and mutual business opportunities and avail maximum benefits from these schemes.

The aim of the event was to promote entrepreneurship culture and spread awareness of the NSSH Scheme and other Schemes of the Ministry.

It saw the participation of around 700 SC-ST aspiring and existing entrepreneurs.

Addressing the Conclave, Comptroller & Auditor (CAG) General of India, Girish Chandra Murmu emphasised on the significant role of the MSME Sector in the Indian economy in terms of its contribution to GDP and overall exports from India.

A special technical session chaired by Dr Ketaki Bapat, Advisor/Scientist 'G', from Office of Principal Scientific Advisor of India provided an interactive platform for aspiring and existing SC-ST entrepreneurs to interact with CPSEs, lending institutions, etc.

The programme also witnessed the participation of CPSEs like Power Grid Corporation, Steel Authority of India, Indian Oil Corporation, Mahanadi Coalfield Ltd. who gave presentations on their vendor empanelment process and details of products/services to be procured.

It also had financial institutions such as UCO Bank, and State Bank of India, which detailed various lending schemes pertaining to the MSME sector.

Training institutes like IIT Kharagpur, Central Tool Room and Training Centre, Bhubaneswar, Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology also participated in the program by putting up a stall and demonstrating their technology and various skill development programmes.

The program also had facilitation desks of UDYAM Registration for facilitating registrations of SC/ST MSE participants on the spot.

HYUNDAI

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

MSME sugar producers struggle with lower margins

The micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the sugar industry are majorly impacted by the major global and domestic events and as a result their margins are hit by flat product prices.

Despite the increase in prices of sugarcane which is the key raw material, there has been no equivalent increase in the price of sugar, as per Business Standard's CRISIL SME Tracker.

Dominating the sugar industry, MSME segment only has standalone sugar mills and will face lower margins compared with non-SME counterparts, which have integrated mills, including power and distillery units, said the report.

Owing to the likely revival of both major producers, Brazil and Thailand the global supply is to ease.

Domestic sugar producers saw 14 per cent revenue growth in FY22, as a decrease in output from these countries after the sugar season (October-September) boosted demand for Indian produce and lifted its prices in world markets.

On domestic front, export momentum continued in the first half of FY23. However, the government imposed a cap on exports at 11.2 million tonnes (MT) for the 2022 sugar season.

For the current season (2023), the government has increased the fair and remunerative price for sugarcane by 5 per cent to Rs 305 per quintal for a recovery rate of 10.25 per cent.

Due to reduced domestic inventory the cap for the current season has been set at 6 MT for exports.

Since it will still be adequate for domestic consumption, we expect an increase in the export cap to 8.5 MT by the end of the first half of this sugar season, said the report.

e-Shram Portal registers highest unorganised workers from UP at 8.29 cr

About 8,29,86,177 unorganized workers from state of Uttar Pradesh have been registered on eShram Portal which is the highest among all states an UTs.

According to the Year End Review 2022 released by Ministry of Labour and Employment the overall registrations of unorganised workers on eShram Portal till December 28, 2022 is 28,50,05,048 (28.50 crore).

Following UP, Bihar (2.85 crore), West Bengal (2.57 crore), Madhya Pradesh (1.68 crore) and Maharashtra (1.33 crore) are the states with the highest registrations.

The Portal was launched on August 26, 2021 and within a span of approximately 16 months only more than 28.50 crore workers have been registered.

It allows registration in 400 different occupations under 30 broad occupation sectors.

A full-fledged Call Centre for eShram has been established which is operational 365 days a year and provides support in 8 regional languages in addition to Hindi & English, said the report.

A comprehensive grievance handling mechanism is in place which is available 365 days a year.

About 2.7 lakh candidates have undergone training under the Career Skills training of “TCS iON” Program on NCS portal and 2297 Job

Fairs have been organized so far by Model Career Centres in different states under the NCS Scheme.

UP MSME Dept assigned Rs 1 trillion target for Global Investors Summit

Ahead of the Global Investors Summit (GIS), the Uttar Pradesh government has set Rs 1 trillion as the investment target for its MSME Department.

Overall the Yogi Adityanath-led administration has increased the investment target by 70 per cent to Rs 17 trillion due to the encouraging response from the recent roadshows in foreign countries.

Earlier net private investment for the summit which will take place in Lucknow from February 10–12, 2023 was set at Rs 10 trillion which has been increased to Rs 17 trillion.

During the series of roadshows that took place in 16 nations in December, about Rs 7 trillion in state investment proposals were obtained.

The departments of IT & electronics, MSME, energy, housing, and the Greater Noida authority have been assigned investment targets of Rs 1 trillion each.

Investment targets of departments of textile, civil aviation, PWD, urban development, etc have also been upgraded.

The UP State Industrial Development Authority (UPSIDA) has also been mandated to attract investment of Rs 1 trillion from entrepreneurs looking to set up industrial units in the state.

Cabinet okays National Green Hydrogen Mission with Rs 19,744 cr outlay; vouches for 6 lakh jobs by 2030

Prime Minister Narendra Modi-led Union Cabinet approved the National Green Hydrogen Mission with an initial outlay of Rs19,744 crore. This will include an outlay of Rs 17,490 crore for the SIGHT programme, Rs 1,466 crore for pilot projects, Rs.400 crore for R&D, and Rs 388 crore towards other Mission components. Over Rs 8 lakh crore in total investments and creation of more than 6 lakh jobs are the main likely outcomes of the mission by 2030.

Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) will formulate the scheme guidelines for implementation of the respective components and will be responsible for overall coordination and implementation of the Mission. It also aims for the development of green hydrogen production capacity of at least 5 MMT (Million Metric Tonne) per annum with an associated renewable energy capacity addition of about 125 GW in the country. Cumulative reduction in fossil fuel imports over Rs 1 lakh crore and abatement of nearly 50 MMT of annual greenhouse gas emissions is also the objective.

The Mission will have wide ranging benefits- creation of export opportunities for Green Hydrogen and its derivatives; Decarbonisation of industrial, mobility and energy sectors; reduction in dependence on imported fossil fuels and feedstock; development of indigenous manufacturing capabilities; creation of employment opportunities; and development of cutting-edge technologies. India's Green Hydrogen production capacity is likely to reach at least 5 MMT per annum, with an associated renewable energy capacity addition of about 125 GW.

The Mission will facilitate demand creation, production, utilization and export of Green Hydrogen. Under the Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition Programme (SIGHT), two distinct

financial incentive mechanisms – targeting domestic manufacturing of electrolysers and production of Green Hydrogen – will be provided under the Mission. It will also support pilot projects in emerging end-use sectors and production pathways. Regions capable of supporting large scale production and/or utilization of Hydrogen will be identified and developed as Green Hydrogen Hubs. An enabling policy framework will be developed to support establishment of Green Hydrogen ecosystem.

A robust Standards and Regulations framework will be also developed. Further, a public-private partnership framework for R&D (Strategic Hydrogen Innovation Partnership – SHIP) will be facilitated under the Mission; R&D projects will be goal-oriented, time bound, and suitably scaled up to develop globally competitive technologies. A coordinated skill development programme will also be undertaken under the Mission.

All concerned Ministries, Departments, agencies and institutions of the Central and State Governments will undertake focussed and coordinated steps to ensure successful achievement of the Mission objectives.

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

96% MSMEs anticipate robust profits in 2023: Report

About 96 per cent of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are optimistic that in 2023 the profits will increase, as per a study conducted by a MSME-focused digital lender, NeoGrowth. The study was conducted across India with about 3,000 MSME owners participating as respondents. It covered the expectations of MSME owners across 25+ cities and 70+ business segments, as they step into 2023 amidst global headwinds. Commenting on the study, Arun Nayyar, Managing Director and CEO, NeoGrowth, said, “It is heartening that MSMEs are confident about their growth, profitability and other business indicator. We believe that the strong digital ecosystem in India will be a catalyst for MSME lending in the coming year.”

“MSMEs are capitalising on new credit options to build and scale their businesses easily, unimpeded by traditional methods of credit underwriting. 2023 will be a crucial year for MSMEs, which will play a pivotal role as India moves a step closer to realising its vision of a USD 5-trillion economy,” Nayyar added. Expressing confidence, three out of four MSMEs were optimistic about the economic growth in 2023 while 20 per cent were neutral and only 5 per cent were negative. Among the respondents, 80 per cent of women MSMEs from the manufacturing and services sector said they were optimistic about India's economic growth.

New Industrial Policy proposes Universal Enterprise ID for MSMEs to boost credit rating system

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) in its draft industry policy has proposed to create a Universal Enterprise ID for micro, small and medium enterprises (MSMEs) to

strengthen their credit rating mechanism. To promote startups in every district, the proposed new industrial policy also aims to create startup innovation zones at the level of urban local bodies, and incentivise Indian speciality products by creating premium international brands, reported ET.

The proposed new industry policy is still under stakeholder consultation and will replace the industrial policy of 1991. Its vision is set on the basis of sustainability, R&D, MSME and ease of doing business for manufacturing. The proposed new industry policy is still under stakeholder consultation and will replace the industrial policy of 1991. Its vision is set on the basis of sustainability, R&D, MSME and ease of doing business for manufacturing.

XXXXXXXXXXXX